रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032022-234217
CG-DL-E-15032022-234217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2022/फाल्गुन 24, 1943
No. 201] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2022/PHALGUNA 24, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2022

सा.का.नि. 204(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में,—

(i) मद 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"16क.	पन्ना:	यथा मूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का दस प्रतिशत।";

(ii) मद 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“20क.	ग्लॉकोनाइट और पोटाश:	भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग द्वारा प्रकाशित पोटाश म्यूरिएट के लिए कीमत का दो दशमलव पांच प्रतिशत जो ऐसे पोटाश म्यूरिएट बनाने हेतु भेजे जाने वालों के लिए उत्पादित अयस्क में निहित K_2O पर प्रभार्य है।";

(iii) मद 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“32क.	मोलिब्डेनम:	उत्पादित अयस्क में निहित मोलिब्डेनम धातु पर प्रभार्य लंदन मेटल एक्सचेंज मोलिब्डेनम धातु कीमत का सात दशमलव पांच प्रतिशत।";

(iv) मद 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“35क.	प्लेटिनम समूह धातु:	
	(i) प्लेटिनम और पैलेडियम;	उत्पादित अयस्क में प्लेटिनम और पैलेडियम धातुओं पर प्रभार्य लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन कीमत का चार प्रतिशत;
	(ii) रोडियम, इरिडियम और रूथेनियम;	उत्पादित अयस्क में रोडियम, इरिडियम और रूथेनियम धातुओं पर प्रभार्य जॉनसन मैथे बहुमूल्य धातु प्रबंधन कीमत का चार प्रतिशत;
	(iii) ऑस्मियम:	उत्पादित अयस्क में ऑस्मियम धातु पर प्रभार्य Osmium-Preis.com कीमत का चार प्रतिशत;

(v) मद 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

44.	"सिलिमेनाइट, कायनाइट और अंडालूसाइट:	यथा मूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बारह प्रतिशत।"

(v) मद 55 के सामने, दूसरे स्तंभ में, प्रविष्टि "काइनाइट" का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एम.VI-16/91/2021-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की दूसरी अनुसूची को सा.का.नि. 175(अ) तारीख 31 मार्च, 1975 द्वारा संशोधित किया गया था और अंतिम बार सा.का.नि. 445(अ) तारीख 14 जुलाई, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2022

G.S.R. 204(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

2. In the Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957,—

(i) after item 16 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

"16A.	Emerald:	Ten per cent. of average sale price on *ad valorem* basis.";

(ii) after item 20 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

"20A.	Glauconite and Potash:	Two point five per cent. of price for Muriate of Potash published by the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers chargeable on the contained K_2O in ore produced for those dispatched for making such Muriate of Potash.";

(iii) after item 32 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

"32A.	Molybdenum:	Seven point five per cent. of London Metal Exchange Molybdenum metal price chargeable on the contained Molybdenum metal in ore produced.";

(iv) after item 35 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

"35A.	Platinum Group of Metals:	
	(i) Platinum and Palladium;	Four per cent. of London Bullion Market Association price chargeable on the Platinum and Palladium metals in ore produced;
	(ii) Rhodium, Iridium and Ruthenium;	Four per cent. of Johnson Matthey Precious Metals Management price chargeable on the Rhodium, Iridium and Ruthenium metals in ore produced;
	(iii) Osmium:	Four per cent. of Osmium-Preis.com price chargeable on the Osmium metal in ore produced.";

(v) for item 44 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

44.	"Sillimanite, Kyanite and Andalusite:	Twelve per cent. of average sale price on *ad valorem* basis.".

(vi) against item 55, in second column, the entry "Kyanite," shall be omitted.

[F. No. M.VI-16/91/2021-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note: The Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) was amended vide G.S.R. 175(E), dated the 31st March, 1975 and was lastly amended vide G.S.R. 445(E), dated 14th July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.15 22:34:21 +05'30'